न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 352 राग 2020

अनवान :-

1. रामप्रताप पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः- श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 17/08/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 23/23 की कुल 5.3490हैक में 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 20/44 में सयुक्त तौर से 2529/21044 हिस्सा का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी व वादी के पिता का नाम प्रतापसिह पुत्र फरसाराम दर्ज है ।

वादी व वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से रामप्रताप पुत्र परसाराम के स्थान पर प्रतापसिह पुत्र फरसाराम दर्ज हो गया जबकि वादी व वादी के पिता सही नाम रामप्रताप पुत्र परसाराम है वादी अपने पिता का नाम सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है

वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तिय सुविधाऐं जैसे अनुदान किसान केडिट कार्ड , खाद बीज का ऋण आदि प्राप्त नही हो पा रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी के पिता का नाम अन्य दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि सभी में वादी व वादी के पिता का नाम रामप्रताप पुत्र परसाराम दर्ज है अर्थात सही नाम रामप्रताप पुत्र परसाराम है वादी राजस्व रिकार्ड में अपना व अपने पिता का नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 23/23 की कुल 5.3490हैक में 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 20/44 में सयुक्त तौर से 2529/21044 हिस्सा भूमि में वादी व वादी के पिता का नाम प्रतापसिह पुत्र फरसाराम के स्थान पर रामप्रताप पुत्र परसाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिय सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर वादी का नाम राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 23/23 की कुल 5.3490हैक में 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 20/44 में सयुक्त तौर से 2529/21044 हिस्सा का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी व वादी के पिता का नाम प्रतापसिह पुत्र फरसाराम दर्ज है ।

वादी व वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से रामप्रताप पुत्र परसाराम के स्थान पर प्रतापसिह पुत्र फरसाराम दर्ज हो गया जबकि वादी व वादी के पिता सही नाम रामप्रताप पुत्र परसाराम है वादी अपने पिता का नाम सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है

वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तिय सुविधाऐं जैसे अनुदान किसान केडिट कार्ड , खाद बीज का ऋण आदि प्राप्त नही हो पा रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी के पिता का नाम अन्य दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि सभी में वादी व वादी के पिता का नाम रामप्रताप पुत्र परसाराम दर्ज है अर्थात सही नाम रामप्रताप पुत्र परसाराम है वादी राजस्व रिकार्ड में अपना व अपने पिता का नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 23/23 की कुल 5.3490हैक्ट में 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 20/44 में सयुक्त तौर से 2529/21044 हिस्सा भूमि में वादी व वादी के पिता का नाम प्रतापसिह पुत्र फरसाराम के स्थान पर रामप्रताप पुत्र परसाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वादी के पिता का संशोधन किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 23/23 की कुल 5.3490हैक्ट में 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 20/44 में सयुक्त तौर से 2529/21044 हिस्सा का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी व वादी के पिता का नाम प्रतापसिह पुत्र फरसाराम दर्ज है ।

वादी का कथन है कि वादी व वादी के पिता का सही नाम रामप्रताप पुत्र परसाराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम प्रतापसिह पुत्र फरसाराम दर्ज किया गया है वादी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम प्रतापसिह पुत्र फरसाराम के स्थान पर रामप्रताप पुत्र परसाराम संशोधन करवाना चाहता है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि में वादी व वादी के पिता का नाम रामप्रताप पुत्र परसाराम दर्ज है

सरंपच ग्राम पंचायत मलखेडा के प्रमाण पत्र के अनुसार वादी व वादी के पिता का सही नाम रामप्रताप पुत्र परसाराम है एवं प्रतापसिह पुत्र रामप्रताप तथा परसाराम एवं फरसाराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है सहवन से राजस्व रिकार्ड में फरसाराम दर्ज हुआ है इनको में व्यक्तिगत रूप से जानता हु ।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं संरपच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र एवं पेरोकार राज की अभिशषां पर वादी व वादी के पिता का सही नाम रामप्रताप पुत्र परसाराम होना प्रतीत होता है

वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से सयुक्त खातेदारों के हिस्सा में किसी प्रकार का परिर्वतन नही होता है वादी के पिता का नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही होता है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /शपथ पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत मन्दरपुरा के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 23/23 की कुल 5.3490हैक्ट में 1/4 हिस्सा में दर्ज प्रतापसिह पुत्र परसाराम के स्थान पर रामप्रताप उर्फ प्रतापसिह पुत्र परसाराम एवं खाता संख्या 20/44 में सयुक्त तौर से 2529/21044 हिस्सा भूमि में वादी के पिता का नाम फरसाराम के स्थान पर परसाराम उर्फ फरसाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/08/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. रामप्रताप पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थाान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 352 सन 2020 निर्णय दिनांक-17/8/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 23/23 की कुल 5.3490हैक में 1/4 हिस्सा में दर्ज प्रतापसिह पुत्र परसाराम के स्थान पर रामप्रताप उर्फ प्रतापसिह पुत्र परसाराम एवं खाता संख्या 20/44 में सयुक्त तौर से 2529/21044 हिस्सा भूमि में वादी के पिता का नाम फरसाराम के स्थान पर परसाराम उर्फ फरसाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner